

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-जी-691/आई0बी0/22ए-108बी/अनु3-94/पूँजीलेखा/बजट/4711/2018-19

लखनऊ दिनांक दिसम्बर 28 2018

कार्यालय द्वारा

शासनादेश संख्या-380/2018/2903/सत्ताईस-सि-2-2018-83बजट/2018-17, दि0-27.12.2018 द्वारा 01 अदद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत बजट व्यवस्था एकमुश्त (चालू) से रु 200.00 लाख (रु दो करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः शासन से उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के कालखण्ड में सिंचाई विभाग के निम्नांकित मुख्य अभियन्ता को उक्त धनराशि सम्बन्धित परियोजना पर व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार धनावंटन/आवंटित किया जाता है -

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम	मुख्य अभियन्ता संगठन	आवंटित धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 03-जल निकास योजनाएं (रा0से0) 103-सिविल निर्माण कार्य 03-जल निकास योजनाएं (रा0से0) 0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा0से0) 24-बृहत निर्माण कार्य		
1	जलमद कुलन्दशहर में करवन नदी एवं काली नदी के बीच की खाई एवं करवन नदी के आंतरिक अनुभाग की पुनर्व्यवस्था की परियोजना। (Latitude-28°23'06"N and Longitude:-77°45'58"E)	गंगा, मेरठ।	200.00.

(रु दो करोड़ मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-27.12.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है। सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि शासनादेश दिनांक-27.12.2018 के प्रसार-3 के विन्दु-1 से 25 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परियोजना पर धनराशि का व्यय, आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर रखा जाए तथा किसी प्रकार की देनदारी सृजित न की जाये।

(विनय कुमार राठी)

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या-जी-691 (1)/आई0बी0/तददिनांक - 28/12/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. उपसचिव, सिंचाई एवं जल ससाधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन/सूचना प्रकृति कन्द्र, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (गंगा) सि0वि0, उ0प्र0, मेरठ।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
9. प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/कट फाईल हेतु।

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृति प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।